समयबद्ध/सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-100/2016/3011/33-3-2016-268/2016

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2-प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
3-प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0।
4-समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी, उ0प्र0।
5-समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 15 दिसम्बर, 2016**

विषय: स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों की ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन का क्रियान्वयन कराते हुए मॉडल ग्राम पंचायत तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है की स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में से एक घटक है।

1- वित्तीय प्रबन्धन:-

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या के आधार पर धनराशि के आवंटन की प्राप्ति:-

http://shasnadeshup.nic.in

क्र.सं.	ग्राम पंचायत में परिवारों की कुल संख्या	परिवार की संख्या के अनुसार अनुमन्य धनराशि (रूपये लाख में)
1	150	रू. 7.00 लाख
2	300	रू. 12.00 लाख
3	500	रू. 15.00 लाख
4	500 से ऊपर	अधिकतम रू. 20.00 लाख

(ख) **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (MNRGA)**- मार्गनिर्देशिका के अनुसार जल भराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी, बाढ़ नालों(चैनलों) को गहरा करना और मरम्मत करना, तटीय संरक्षण के लिए जल संरक्षण तथा जल संचय की व्यवस्था, नालियों (Drains) का निर्माण, जहाँ भी आवश्यक हो पुलिया और सड़कों की व्यवस्था ग्रामीण पेयजल सम्बन्धी कार्य ,सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण, वॉटर रिचार्ज पिट्स, कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट/नेडप कम्पोस्ट पिट, ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य जैसे कि वैयक्तिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी शौचालय ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, वन एवं वृक्षा रोपड़ आदि कार्य सम्मिलित है। इन अनुमन्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत के लेबर बजट में एम.आई.एस. पर अपलोड किया जाये।

(ग) **14वॉं वित्त आयोग-** 14वॉं वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि अपने क्षेत्रान्तर्गत मूल भूत सुविधाओं यथा पेयजल सुविधा, स्वच्छता, सेप्टिक प्रबन्धन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज, बाढ़ के पानी की निकासी, सामुदायिक सम्पत्तियों का रख-रखाव आदि पर व्यय किया जायेगा।

(घ) **राज्य वित्त आयोग-** राज्य वित्त आयोग के मद में नये निर्माण कार्यो में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सी0सी0रोड/खड़ण्जा/नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

2-तकनीकी प्रबन्धन-

भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर तकनीकी एवं वित्तीय मार्गनिर्देशिका निर्गत की गयी हैं, जो प्रदेश के समस्त जनपदों में उपलब्ध कराया गया है, विश्व बैंक द्वारा दिये गये तकनीकी मेनुअल को भी जनपदों को उपलब्ध कराया गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए सभी योजनाओं से डवटेल करते हुए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन का इंटीग्रेटेड एप्रोच के साथ एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय।

http://shasnadeshup.nic.in

<u>ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-</u> जनपदों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय के साथ बैठक एवं विचार-विमर्श कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु तकनीकी का चयन करना है। जैसे - ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए घरेलू कचरों का संकलन, वर्गीकरण और सुरक्षित निपटान, घेरेलू एवं सामुदायिक कम्पोस्ट बनाना, जैविक ठोस अपशिष्टों के अधिकतम पुन: उपयोग से संबंधित क्रियाकलापों को अपनाया जाना आवश्यक होगा। ऐसी प्रोद्योगिकियों में वर्मी कम्पोस्ट, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक बायोगैस संयत्र शामिल किये जा सकते हैं।

<u>तरल अपशिष्ट प्रबन्धन-</u> जनपदों को उपयुक्त एवं आवश्यक प्रौद्योगिकी निर्धारित करनी है। तरल अपशिष्टों के प्रबन्ध के लिए अपनाई गई प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम परिचालन एवं अनुरक्षण लागतों के साथ कृषि प्रयोजनों के लिए ऐसे अपशिष्ट के अधिकतम पुन: उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। दूषित जल के संकलन के लिए किफायती नाली/नाला, छोटा बोर सिस्टम, सोख्ता गड्ढा, तालाबों का जीर्णोद्धार, सिल्ट कैचर के साथ कम्प्यूनिटी लीच पीट, किचेन गार्डनिंग, कैना एवं केला प्लान्टेशन एवं डकवीड आधारित दूषित जल शोधन को भी उपयोग में लाया जा सकता है।

3-<u>सामुदायिक जागरूकता एवं क्रियान्वयन</u>

गांव को स्वच्छ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अन्तवर्ैयक्तिक संचार (आई.पी.सी.)/आदतों में बदलाव(बी0सी0सी0)/ समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता (Community led Total Sanitation) विधा से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि समुदाय के बीच इन क्रियाकलापों के माध्यम से समुदाय को जागरूक करते हुए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन का क्रियान्वयन किया जा सके। इससे अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान के लिए तंत्र की स्थापना इस प्रकार होगी, जिसका आबादी पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। समुदाय/ग्राम पंचायत को आगे आने और ऐसे तंत्र की मांग करने के लिए प्रेरित करना होगा जिसका उन्हें बाद में परिचालन एवं अनुरक्षण करना है।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन से ग्राम पंचायतों में निवास कर रहे लोगों मुख्यत: बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ में सुधार होगा, जिससे ग्राम पंचायत में निवास कर रहे लोगो की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, इसलिए रोजगार सृजन भी होगा, जिससे ग्राम पंचायत के आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सकता है। अभी तक ग्राम पंचायत के लोगों मे जागरूकता के अभाव एवं उचित तकनीकी मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण ग्राम पंचायतों की ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन नही किया जा सका।

http://shasnadeshup.nic.in

अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट, समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं सहायक अभियन्ता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) ग्राम पंचायतों में से किसी एक-एक ग्राम पंचायत का चयन कर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ डी0आर0डी0ए0 आदि से तकनीकी सहयोग लेते हुए इंटीग्रेटेड एप्रोच से चयनित ग्राम पंचायत की उपर्युक्त कार्ययोजना तैयार कर संबंधित जनपद के जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी से अनुमोदन प्राप्त करके स्वीकृति हेतु राज्य स्वच्छता मिशन (ग्रामीण) की तकनीकी समिति को उपलब्ध करायें। तकनीकी समिति की स्वीकृति के उपरान्त जनपदों द्वारा परियोजना के स्थायित्व का ध्यान रखते हुए क्रियान्वयन किया जायेगा एवं दो माह में मॉडल ग्राम पंचायत तैयार कर प्रगति की सूचना मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय। यह ग्राम पंचायतें संबंधित जनपद हेतु मॉडल ग्राम पंचायत होगी, जिसे जनपद की अन्य ग्राम पंचायतों में भी विस्तारित किया जाय।

- एक बार जिस ग्राम पंचायत का चयन कर लिया जाये, मॉडल ग्राम पंचायत होने तक ग्राम पंचायत वही रहेगी तथा अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर भी चयनित ग्राम पंचायत का बदलाव नही किया जायेगा।
- चयनित ग्राम पंचायत का नाम राज्य स्वच्छता मिशन को दिनांक-15.12.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
- अधिकारियों द्वारा चयनित ग्राम पंचायत का स्थलीय/मौके का भ्रमण, स्थिति का अनुश्रवण करके 26 जनवरी, 2017 तक मॉडल ग्राम पंचायत तैयार की जायेंगी। माडल ग्राम पंचायत की रूपरेखा से मिशन निदेशक,स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) एवं शासन को अवगत कराया जाय।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्ययोजना, क्रियान्वयन तथा मॉडल ग्राम पंचायत बनाने तक उपरोक्त समस्त अधिकारीगण की प्राथमिकता में होना अनिवार्य है।
- माडल ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करने एवं योजना को मूर्त रूप देने एवं क्रियान्वयन/अनुश्रवण करने हेतु गांव को गोद लेने वाले अधिकारी को पर्याप्त

http://shasnadesh.up.nic.in

सहयोग प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। यदि किसी स्तर पर नामित अधिकारी द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।

भवदीय

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
4. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
6. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0, कृपया अपने अधीनस्थ जनपदों में योजना का रैण्डम चेकिंग कर कार्य के प्रगति की समीक्षा करें।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(प0), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक **15** दिसम्बर, **2016** तक जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य स्वच्छता मिशन की तकनीकी समिति से स्वीकृति लेते हुए दिनांक **26.01.2017** तक माडल ग्राम पंचायत तैयार कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि यह ग्राम पंचायत जनपद की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए माडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित हो।

आज्ञा से

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in